

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 2039 / 2010 / चित्तौड़गढ़.

मैसर्स रांका ब्रदर्स, भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़.

.....प्रत्यर्थी.

2. क्रॉस अपील संख्या – 756 / 2011 / चित्तौड़गढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़.

.....प्रार्थी.

बनाम

मैसर्स रांका ब्रदर्स, भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़.

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 02 / 2014

निर्णय

यह अपील व क्रॉस अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 46 / आरएसटी / 2009-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(5), 58 व 65 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.05.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2003-04 के कर निर्धारण नोटिस की पालना में प्रस्तुत रेकॉर्ड की जांच में पाया कि अपीलार्थी ने भोपालसागर स्थित अपने व्यवसाय स्थल की आलौच्य अवधि में कुल 59 बिल जारी कर, कर चुके माल चावल की कुल बिक्री रूपये 6,85,873/- घोषित की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के आलौच्य वर्ष के प्रस्तुत रोकड़ नकल बही व खाता तथा विक्रय बिल हस्ताक्षरित

लगातार.....2


किये। कर चुके विक्रय से सम्बन्धित क्रय मैसर्स राजस्थान इण्डस्ट्रीज भूपालसागर से होना बताया। उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर उदयपुर द्वारा चावल विक्रेताओं की जांच कराये जाने पर अपीलार्थी द्वारा उदयपुर में भी कारोबार करना उजागर हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा अलग से जारी बिलों 1-839 के जरिये मैसर्स मोहन थोक भण्डार, मैसर्स झमकंलाल मोतीलाल गाडिया, मैसर्स रिखबदास अम्बालाल गाडिया व मैसर्स शुगर हाऊस को बिल संख्या 267, 839, 279, 178, 241, 244, 255, 331, 348, 042, 117, 222, 229 व 301 से चावल का विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम दृष्टया समानान्तर बिलों से विक्रय करते हुए समानान्तर लेखे संधारित करना पाया। इसलिए अधिनियम की धारा 28, 58, 65 व 68 के तहत नोटिस जारी किया तथा बिल संख्या 1 से 839 की सूची प्राप्त की गई। इन समानान्तर लेखा-पुस्तकों में खाता पृष्ठ 31 पर मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी, उदयपुर से रूपये 4,83,52,668/- की चावल खरीद करना बताया गया। कर चुके खरीद बिलों के लिये कर निर्धारण अधिकारी ने प्रविष्टिवार भुगतान की रीति, दिनांक, चैक नं0, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या व बैंक स्टेटमेंट पेश करने के लिये पाबंद किया। उधर कथित विक्रेता मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी की जांच उदयपुर के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये जाने पर फर्म के मालिक श्री विमल जैन ने दिनांक 10.9.2004 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ के समक्ष बयान दर्ज किये गये, जिनमें श्री विमल जैन ने बताया कि -

“मेरी फर्म की ओर से वर्ष 2003-04 में मैसर्स रांका ब्रदर्स भोपाल सागर को चावल की कोई बिक्री नहीं की है और सूची में वर्णित बिल नं0, दिनांक, वजन एवं कीमत के समस्त बिल मै. रांका ब्रदर्स, भोपाल सागर के मालिक की उपज है। मैंने मै. रांका ब्रदर्स भोपाल सागर से चावल गत तीन वर्षों से खरीदता रहा हूं जिसका विस्तृत ब्यौरा मेरा लेखा पुस्तकों के हिसाब से नोट कर लाया हूं जो निम्नानुसार है

### खरीद

<u>वर्ष</u>	<u>खरीद मूल्य</u>	<u>भुगतान</u>
2001-02	5,68,896	2,08,043
2001-03	25,96,928	26,29,124
2002-03	20,97,594	24,16,251

इस प्रकार मेरे द्वारा मै. रांका ब्रदर्स, भोपालसागर को वर्ष 2003-04 में किसी प्रकार की चावल अथवा अन्य माल की बिक्री नहीं की है। मेरे द्वारा तो रांका ब्रदर्स से खरीद ही की गई है जिनका भुगतान मेरे द्वारा चैक के माध्यम से किया गया है।

मै. रांका ब्रदर्स, भोपाल सागर ने सूचि अनुसार मुझसे खरीद करना बताया है तो उसने मुझे भुगतान भी किया होगा। उसका विवरण भी रांका ब्रदर्स भोपाल सागर से लिया जावे। इससे यह तथ्य उजागर हो जावेगा कि उसके द्वारा प्रदर्शित मेरी फर्म से खरीद झूठी है। मेरे द्वारा वर्ष 2003-04 में मै. रांका ब्रदर्स भोपाल सागर को किसी प्रकार की बिक्री नहीं किये जाने संबंधी शपथ-पत्र भी अलग से दे रहा हूं।”

“उक्त बयान मेरी जानकारी के अनुसार सही है जिसे सुन-समझकर सही होने से अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं।”

श्री विमल जैन द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी निम्बाहेड़ा के नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर पेश किया गया।

अपीलार्थी द्वारा कथित विक्रेता से कर चुका माल का सत्यापन नहीं होने के कारण व उसके शपथपत्र के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.11.2004 पारित करते हुए कथित कर दत्त चावल व आटे की बिक्री को कर योग्य मानते हुए क्रमशः रुपये 4,17,55,641/- व 26,07,863/- पर 4 प्रतिशत से कर रुपये 17,74,539/- अधिभार रुपये 15,647/- धारा 68 के तहत शास्ति रुपये 1000/- तथा करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रुपये 35,80,372/- आरोपित कर कुल रुपये 53,71,558/- की मांग सृजित की। इस आदेश से असहमत होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष अपील संख्या 113/RST/2004-05/चित्तौड़गढ़ दायर करने पर आदेश दिनांक 14.10.2005 में अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर मय अधिभार के सम्बन्ध में खरीद की पूर्ण जांच कर पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की।

प्रतिप्रेषण आदेश की कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी द्वारा माननीय कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 979/2006 व क्रॉस अपील संख्या 2015/2006/चित्तौड़गढ़ किये जाने पर खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 5.12.2006 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का अंतिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.2.2006 पारित करने के परिणामस्वरूप अस्थाई कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध उक्त अपीलों को निष्प्रभावी घोषित कर खारिज कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने अंतिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.2.2006 में अस्थाई कर निर्धारण के अनुसार ही कायम अधिभार रुपये 17,90,180/-, धारा 58 के तहत ब्याज रुपये 5,59,941/-, धारा 68 के तहत शास्ति रुपये 1000/- आरोपित

की, लेकिन धारा 65 की शास्ति जो कि अपीलीय आदेश दिनांक 14.10.2005 द्वारा अपास्त की गई थी, के विषय में कर बोर्ड के समक्ष लंबित अपील के मददेनजर आरोपित नहीं कर निर्णय सुरक्षित रखा।


अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.2.2006 के खिलाफ अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील किये जाने पर अपील संख्या 369/आरएसटी/2005-06 आदेश दिनांक 20.4.2007 में कर, अधिभार व ब्याज को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया तथा धारा 68 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1000/- की पुष्टि की।

कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषण आदेश की अनुपालना में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने पर अपीलार्थी व्यवहारी के समर्थन में विक्रेता मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी के मालिक श्री विमल जैन का एक और शपथपत्र दिनांक 16.1.2006 की छायाप्रति दिनांक 26.6.2007 का एक और शपथपत्र, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर चित्तौड़गढ़ के समक्ष दिये बयानों की प्रतियां पेश की। साथ ही अपीलार्थी के बैंकों के स्टेटमेंट की नकलें, स्वयं के खातों की नकलें, कुछ उधार देने वाले व्यक्तियों के शपथपत्र जिनमें उधार के पैसे व्यवहारी से लिये जाने का जिक्र है, की प्रतियां, मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी के वर्ष 2000-01 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.5.2002 की छाया प्रति व वर्ष 2000-01 का एस.टी.5ए तथा मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी के द्वारा अन्य क्रेताओं को जारी बिलों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 8.5.2009 पारित किया, जिसमें अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें कर मय अधिभार, ब्याज तथा धारा 68 व 65 की शास्तियां आरोपित करते हुए जमा राशि का समायोजन देकर रूपये 55,89,684/- की मांग सृजित की।

इस आदेश के विरुद्ध पुनः अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 46/आरएसटी/2009-10 आदेश दिनांक 5.8.2010 में कर मय अधिभार व ब्याज तथा धारा 68 के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि की, लेकिन धारा 65 की शास्ति को पूर्व अपील आदेश दिनांक 14.10.2005 में अपास्त किये जाने के आधार पर पुनः शास्ति आरोपण को अविधिक मानकर अपास्त किया।

अपीलीय आदेश में कर मय अधिभार व ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकर किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी ने तथा शास्ति अपास्तीकरण के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रत्यापील प्रस्तुत की गयी है।

h



उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर मय अधिभार व ब्याज की पुष्टि कर विधिक भूल की है। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी, जो कि पंजीकृत फर्म थी, से माल कर चुका क्रय किया था। अधिनियम के तहत प्रथम बिन्दु पर ही कर देयता होने के कारण कर जमा कराने का दायित्व प्रथम व्यवहारी मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी का है, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने विधिविरुद्ध आदेश पारित किया है।

अग्रिम कथन किया कि मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी द्वारा किये गये अपीलार्थी को विक्रय में कोई अन्तर नहीं था, खरीद बीजक भी पेश किये गये थे। माननीय न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों में निर्णीत किया है कि जब प्रथम व्यवहारी राज्य में पंजीकृत है तो कर जमा कराने का दायित्व उसी का है।

अग्रिम कथन किया कि मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी के मालिक द्वारा शपथपत्र दिनांक 26.6.2007 से माल अपीलार्थी को विक्रय किये जाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकार कर भूल की है। अपने तर्कों के सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये हैं :-

(i) (2005) 22 S.T.T. 117 (SC)

**Commissioner of Trade Tax, U.P. Vs. Kajaria Ceramics Ltd.**

"The primary liability to pay sales tax is on the seller of the goods. It is not necessary that he must realise the tax from the buyer of the goods. The seller may or may not be entitled to recover the tax from the purchaser yet the seller is responsible to pay the tax."

(ii) (2007) 28 S.T.T. 17 (RTB-DB)

मैसर्स मौ० इशाक मौ० गुलाम अली, मॉडर्न बीड़ी फैक्ट्री, मकबरा, कोटा

(iii) (1998) 109 S.T.C. 439 (SC)

**State of Maharashtra Vs. Suresh Trading Company**

".....that a purchasing dealer was entitled by law to rely upon the certificate of registration of the selling dealer and to act upon it. Whatever might be the effect of a retrospective cancellation upon the selling dealer, it could have no effect upon any person who had acted upon the strength of a registration certificate when the registration was current. It was not the duty of persons dealing with registered dealer to find out whether a state of facts existed which could justify the cancellation of their registration."

यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील आदेश दिनांक 14.10.2005 में ही अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को संव्यवहारों के लेखा-पुस्तकों में इंद्राजित होने के आधार पर करापवंचन की मंशा को अस्वीकार करते हुए अपास्त किया था, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित कर निर्धारण आदेश में पुनः शास्ति आरोपित कर विधिक भूल की है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः अपील आदेश में अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।

उक्त आधारों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कर मय अधिभार व ब्याज के बिन्दु पर अपील स्वीकार किये जाने तथा धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर विभाग की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।


प्रत्यापीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर मय अधिभार व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के माल विक्रेता मैसर्स संजय जैन एण्ड कम्पनी के मालिक श्री विमल जैन द्वारा पहले शपथ दिनांक 10.9.2004 में अपीलार्थी को माल विक्रय करने से इन्कार कर दिया था, जिसके 3 वर्ष बाद दिनांक 26.6.2007 को पुनः शपथपत्र देकर पूर्व शपथपत्र को दबाव में देना बताया, जिसे माना नहीं जा सकता तथा अपना मूल रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर विक्रय को सत्यापित भी नहीं कराया, माल विक्रय के लिये भुगतान आदि को अपीलार्थी के खातों में सत्यता के अभाव में कथित बिक्री को सद्भावी नहीं माना जा सकता। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी स्वयं ने अपना कारोबार भूपालसागर चित्तौड़ में ही करना बताकर खाते वास्ते जांच प्रस्तुत किये थे, जबकि उदयपुर में अन्य स्थान का न तो शाखा के रूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र में इंद्राज कराया गया था, न ही चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत विवरण पत्रों में घोषित किया गया था। इससे अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा प्रारम्भ से ही स्पष्ट जाहिर हो गई थी। इसलिए प्रथम अपील आदेश में ही अपीलीय अधिकारी ने कर व अधिभार को विधिसम्मत माना था।

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें शास्ति अपास्त को चुनौती दी गई थी, लेकिन कर बोर्ड ने अंतिम आदेश पारित होने के आधार पर अपील को निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया था, जबकि कर बोर्ड को शास्ति के बिन्दु पर निर्णय पारित करना चाहिए था। यह भी कथन किया कि प्रकरण के तथ्यों में अपीलार्थी को करापवंचन की मंशा साफ जाहिर होती है तथा विवरण पत्रों में जानबूझकर कर योग्य विक्रय को छुपाया गया था। इसलिए कर

निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति उचित ही आरोपित की गई थी, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों को भलीभांति विचारित नहीं कर तकनीकी आधार पर शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने तथा विभागीय अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2003-04 में क्रय किये गये चावल मै0 संजय जैन एण्ड कम्पनी से बताये गये लेकिन फर्म मालिक विमल जैन ने बयान तथा शपथ पत्र दिनांक 10.9.2004 में प्रत्यर्थी को माल विक्रय करना नहीं बताया था। अपीलार्थी के कथित विक्रेता ने दिनांक 16.01.2006 व 26.06.2007 के दोनों शपथ पत्रों में पूर्व हस्ताक्षरित शपथ पत्र दिनांक 10.9.2004 को गलत बताया गया है। अपीलार्थी के माल खरीद खाता वर्ष 2003-04 की छाया प्रतियां भी पत्रावली पर उपलब्ध है तथा क्रय बिलों की छाया प्रतियां भी उपलब्ध है जिनके अनुसार मै0 संजय एण्ड कम्पनी द्वारा अपीलार्थी को माल विक्रय किया जाना बताया है। इस प्रकार मै0 संजय जैन एण्ड कम्पनी के मालिक श्री विमल कुमार जैन द्वारा तीन-तीन शपथ पत्र हस्ताक्षरित किये गये है। पूर्व शपथ पत्र दिनांक 10.9.2004 यदि दबाव में लिखाया गया होता तो वह उसके विरुद्ध सक्षम अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकता था। अन्य दो शपथ पत्र लगभग-2 वर्ष पश्चात हस्ताक्षरित किये गये है। अपीलार्थी द्वारा अपील स्तर पर प्रस्तुत माल खाते की नकल तथा क्रय बिलों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है लेकिन क्रीत माल के भुगतान के विषय में तथा माल परिवहन कर प्राप्त करने के बारे में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है। फिर भी अपीलीय अधिकारी ने अकारण बिना साक्ष्य ही बाद के शपथ पत्रों को उचित मानते हुए अपीलार्थी द्वारा क्रीत माल को कर चुका माना है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है क्योंकि निर्णयों में प्रथम बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा कर अदा कर दिये जाने के उपरान्त अगले विक्रय बिन्दु पर करारोपण को अविधिक निर्णीत किया गया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम बिन्दु से माल क्रय किया जाना ही विवादित है तथा प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्तनीय है।

अधिनियम की धारा 10 अनुसार कर चुका माल होना प्रमाणित कराना व्यवहारी का दायित्व है जिसे वह उक्त विवेचन अनुसार प्रमाणित नहीं करा सका है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस विक्रय पर करारोपण उचित किया गया है। कर जमा नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज भी उचित आरोपित किया गया है। जहां तक धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है व्यवहारी द्वारा कर चुका खरीद प्रमाणित नहीं कराई गई है तथा मै0 संजय जैन एण्ड कम्पनी से मात्र कागजी खरीद बताई गई। इस प्रकार कर योग्य माल को लेखा पुस्तकों व विवरण पत्रों में जानबूझकर (Deliberately) कर चुका दर्शा कर सचेतन मन से करापवंचन किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (1989) 74 STC 288 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोजत लाईम कम्पनी प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

**".....before penalty can be imposed, dealer must be shown to have consciously concealed the particular or deliberately furnished inaccurate particulars.**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (2007) 19 Tax update 85 लोर्ड वेंकटेश्वरन केटर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

**"The position of law is settled that penalty under section 65 of the Act(Act 1994) cannot be imposed on the assessee unless the revenue established that there is deliberateness on the part of assessee or conscious concealment of taxable turn over with the purpose to avoid or evade the tax...."**

प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा रेकार्ड से प्रमाणित होती है इसलिए शास्ति भी उचित आरोपित की गई है। अतः शास्ति अपास्तीकरण के बिन्दु पर अपीलीय आदेश अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 8.5.2009 को बहाल किया जाता है तथा कर, अधिभार व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि अस्थाई कर निर्धारण आदेश में करापवंचन के आरोप में अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के उपरान्त अंतिम कर निर्धारण में आरोपित नहीं की जा सकती थी। प्रकरण के तथ्य से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम कर निर्धारण के विरुद्ध स्वीकार अपीलीय आदेश को कर बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गयी थी तथा इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित भी नहीं किया था। ऐसी स्थिति में करापवंचन की



शास्ति के बिन्दु पर अंतिम कर निर्धारण आदेश पारित होने पर भी अपील निष्प्रभावी नहीं होती है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय कराधान अधिकरण ने निम्नप्रकरणों में निर्णीत किया है :-


- (i) (2000) 119 एस.टी.सी. 576 (राज.)  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मेवाड़ वेल्लिंग वर्क्स
- (ii) (1999) 25 आर.टी.जे.एस. 79 (RTT-DB)  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी राजसमंद बनाम मैसर्स ओनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर कांकरोली


इसके अलावा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अनंतिम कर निर्धारण में आरोपित कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण खरीद बिक्री की जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की स्थिति में करापवंचन की शास्ति भी जांच के परिणामों पर निर्भर करती है। केवल बहियात में क्रय-विक्रय इंद्राज के आधार पर करापवंचन की शास्ति को अपास्त नहीं किया जा सकता। जबकि खरीद अपने आप में विवादित हो कि कथित विक्रेता से माल ही क्रय नहीं किया गया हो।

अपीलार्थी माल क्रय किये जाने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। कथित विक्रेता द्वारा बहियात प्रस्तुत नहीं करना, अपीलार्थी द्वारा भुगतान प्रमाणित नहीं करना तथा कथित विक्रेता द्वारा प्रथम शपथपत्र में अपीलार्थी को माल विक्रय करने से इन्कार करने तथा अपीलार्थी स्वयं द्वारा उदयपुर के कारोबार को अधिनियम के प्रावधानों के तहत शाखा घोषित नहीं करने की स्थिति में कथित खरीद कर चुकी प्रमाणित नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी ने करापवंचन की मंशा से ही कर योग्य खरीद को लेखा-पुस्तकों में छुपाकर करापवंचन किया है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( मदन लाल )  
सदस्य  
17/02/14

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
17/02/14